तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज भाखरा वगैरह बनाम जयकिशन वगैरह मुकदमा संख्या :– 162/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख के जारी हुये
16.07.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा धमाणा का गोलिया के खेत खसरा संख्या 27 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा संख्या 28 रकबा 2.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 69 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा संख्या 70 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 178 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा संख्या 189 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा संख्या 190 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा संख्या 191 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा संख्या 192 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा संख्या 193 रकबा 1.16 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 195 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 325 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा संख्या 326 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा संख्या 330 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा संख्या 331 रकबा 0.77 हैक्टेयर, जुमले रकबा 13.71 हैक्टेयर आये हुए है। जिसके पुराने खसरा संख्या 139, 151, 152, 153, 217, 218, 137, 154, 40, 41, 42, 157, 159, 160 जुमले रकबा 94 बीघा 03 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त पैतृक खातेदारी आई हुई है। जिसका प्रथम मिसल बंदोबस्त धूड़ा, रामचन्द, रिडमल पिता वगता के नाम से दर्ज है उक्त आराजी में से प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा कब्जा काश्तसूदा आया हुआ है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त पैतृक आराजी उपरोक्त खसरा नंबरान में 1/3 हिस्सा आया होने से प्रार्थीगण 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त है। मौजा धमाणा में स्थित प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक उपरोक्त खसरा नंबरान का स्व. धुड़ा एवं रामचन्द एवं स्व. रिड़मल प्रार्थीगण के स्व. पिता सांवता के जितेजी काल में ही संवत् 2030 में आपसी सहमति से जरिये मौखिक पारिवारिक बंटवाड़े कर प्रार्थीगण के स्व. दादा रिड़मल का 1/3 हिस्सा यानि प्रार्थीगण के परिवार का 1/3 हिस्सा अलग कर माठे कायम कर कब्जा प्राप्त कर लिया था इसी अनुसार स्व. रामचन्द एवं स्व. धूड़ा के परिवार का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा अलग कर कब्जा–काश्त प्राप्त कर लिया था। प्रार्थीगण की मौजा केरिया में भी आराजी आई होने से प्रार्थीगण का आधा चार केरिया में होने से धमाणा में आना–जाना रहता था एवं प्रार्थीगण के स्व. दादा रिड़मल अनपढ व्यक्ति थे। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के स्व. पिता रामचन्द कर्ता खानदान होने से अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 अपने स्व. पिता रामचन्द से मिलावट कर प्रार्थीगण के स्व. दादा रिड़मल की 1/3 हिस्से की खातेदारी जमीन हड़पने की नियत से तत्कालीन पटवारी एवं सरपंच से मिलावट कर नामान्तरकरण संख्या 122 फर्जी ढंग से बिना आधार स्वीकृत कर मौजा धमाणा का गोलिया में स्थित आराजी में से विधि विरूद्व स्व. रिड़मल का खातेदारी में से नाम हटवाकर रिड़मल के हिस्से की जमीन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के स्व. पिता रामचन्द के खाते में फर्जी तरीके से इन्द्राज कर नामान्तरकरण संख्या 122 का नोट जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 के नोट दर्ज कर फर्जी रेकर्ड तैयार कर राजस्व रेकर्ड में रिड़मल के बजाय रामचन्द के नाम फर्जी खातेदारी दुरस्त कर दी। अब अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को आगे बेचान, रहन, तर्क, वसीयत वगैरह करना चाहते है तथा प्रार्थीगण को पैतृक जमीन से बेदखल [illegible] है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का परिवार संयुक्त परिवार नहीं रहा है मौजा धमाणा के उपरोक्त खसरा नंबरान की आराजी संयुक्त खातेदारी की थी परन्तु यह भूमि पुश्तैनी कभी नहीं रही। उपरोक्त आराजी धमाणा आकर अर्जित की थी। पहले ये लोग मूल गांव चाडी चोहटन रहते थे जहां से इनके तीन पुत्र ग्राम धमाणा आये तथा यहां आकर तीनों ने संयुक्त रूप से अर्जित की जो इनकी स्वअर्जित भूमि है। विगत 50 वर्षों	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:19:23 IST
Reason: SelfAttested

से प्रार्थीगण का वादगस्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है इसलिए विगत 50 वर्षों से अप्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांती अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा धमाणा का गोलिया खेत खसरा संख्या 69, 70, 178, 180, 190, 326, 331, 191, 193 जुमले रकबा 8.66 हैक्टेयर भूमि में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाये रखे तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के राजस्व रेकर्ड में फेरबदल नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रैक सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:19:23 IST
Reason: SelfAttested